सं. 1300(1)/नौ-7-12-191रिट/12

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक
स्थानीय निकाय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-7 लखनऊ : दिनांक 22 जून, 2012

विषयः **नागर निकायों द्वारा संचालित ऐसे विद्यालयों, जिनमें कार्यरत शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन का भुगतान शिक्षा विभाग से प्राप्त अनुदान द्वारा किया जाता है, के अवकाश प्राप्त शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पेंशन एवं अन्य अवशेष देयकों के भुगतान के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि नागर निकायों द्वारा संचालित ऐसे विद्यालयों, जिनमें कार्यरत शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन का भुगतान शिक्षा विभाग से प्राप्त अनुदान द्वारा किया जाता है, के अवकाश प्राप्त शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पेंशन एवं अन्य अवशेष देयकों के भुगतान की समस्या के निस्तारण के संबंध में मुख्य सचिव उ.प्र. की अध्यक्षता में दिनांक 30.04.2012 (प्रतिसंलग्न) को वित्त/शिक्षा/न्याय विभाग तथा नगर विकास विभाग के साथ एक बैठक आहूत की गयी। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि नगर विकास विभाग की ओर से पूर्व में निर्गत शासनादेश दिनांक 08 अप्रैल, 2009 के अनुसार दिनांक 29.03.2007 के पूर्व नगर निगम द्वारा संचालित विद्यालयों के सेवा निवृत्त शिक्षकों के पेंशन का भुगतान नगर निगम द्वारा तथा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त शिक्षकों के पेंशन का भुगतान शिक्षा विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। इसके साथ ही उपरोक्त प्रकृति के विद्यालयों के समस्त सेवानिवृत्त शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के भी पेंशन व अन्य देयों का भुगतान शिक्षा विभाग द्वारा किये जाने का निर्णय लिया गया।

2. अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में प्रश्नगत प्रकृति के विद्यालयों के अवकाश प्राप्त शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्तिक देयों का भुगतान शिक्षा विभाग द्वारा किये जाने के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए समस्त नागर निकायों को अपने स्तर से निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

संलग्नक - यथोपरि

भवदीय,

21/6/2012

(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।

R-2 G.O.

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग।
2. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग।
4. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
5. गार्ड फाइल/ कम्प्यूटर प्रकोष्ठ।

आज्ञा से,

21/6/2012

(श्रीप्रकाश सिंह)

विशेष सचिव।

R-2 G.O.